रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1284] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 2013/ज्येष्ठ 14, 1935
No. 1284] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2013/JYAISTHA 14, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2013

का. आ.1443(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत गुजरात राज्य के मुंद्रा में विशेष आर्थिक जोन अधिसूचित किये थे, अर्थात् :–

1. का.आ. 936 (अ) दिनांक 23 जून, 2006 (2406.7592 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में)
2. का.आ. 1071 (अ) दिनांक 3 जुलाई, 2007 (251.4308 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में)
3. का.आ. 2174 (अ) दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 (74.6145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में)
4. का.आ. 2022 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2008 (2113.7962 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में)
5. का.आ. 1079 (अ) दिनांक 2 मई, 2008 (1074.1755 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में)
6. का.आ. 742 (अ) दिनांक 10 मई, 2007 (293.8810 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में)
7. का.आ. 1365 (अ) दिनांक 27 मई, 2009 (258.2112 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में)

और यतः केन्द्र सरकार ने पिछले पैराग्राफो में संदर्भित उपर्युक्त सभी अधिसूचित क्षेत्रों और विकासकर्ताओं के अधिकारों, दायित्वों और वित्तीय लाभों को प्रभावित किए बिना समेकित करने का निर्णय लिया है;

और यतः इस प्रभाव से केन्द्र सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को दिंनाक 27 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ) को शुरूआती और उसके बाद को अधिसूचनाओं को 6472.8684 हेक्टेयर क्षेत्र वाले मुन्द्रा पत्तन एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड अब अदानी पोर्टस और विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड के रूप में ज्ञात) के रूप पुनः अधिसूचित किया है।

और यतः अब मैसर्स अदानी पोर्ट एण्ड स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड ने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में से 16.5335 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के लिये प्रस्ताव किया है;

और, यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाएं और अन्य संबंधित अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 16.5335 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 6456.3349 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:–

तालिका

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र. सं.	गावँ का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक 27-05-2009	सर्वे/खाता संख्या	वास्तविक अधिसूचित क्षेत्रफल	अनधिसूचित होने वाला क्षेत्रफल	परिमाणी क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सिराचा	74	असर्वेक्षित भूमि	66.3232	1.5937	64.7295
2.	नवीनाल	51	असर्वेक्षित भूमि	65.2274	6.9995	58.2279
3.	जारपारा	40	असर्वेक्षित भूमि	271.9081	2.8692	263.0389
4.	जारपारा	41	689/P92/P2/P2	92.2716	5.0711	87.2005
			अनधिसूचित होने वाला कुल क्षेत्रफल		**16.5335**	
			एसईजेड का शेष क्षेत्रफल		6456.3349	

और यह भी उल्लेख किया गया है कि यह कार्यवाही किसी ऐसी कार्यवाही जो विचाराधीन है या विकासकर्ता के खिलाफ उसके द्वारा की गई किसी चूक विशेषतौर पर जो उनके बहु–उत्पाद एसईजेड के विकासकर्ता से संबधित है, के विरुद्ध बिना किसी पूर्वाग्रह के शुरू की जा सकती है:–

[फा. सं. एफ.1/22/2009–एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2013

S.O.1443(E).- Whereas, the Central Government had notified the Special Economic Zones at Mundra in the State of Gujarat under the following notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Ministry of Commerce), namely :—

(1) S.O. 936 (E) dated 23rd June, 2006 over an area of 2406.7592 hectares
(2) S.O. 1071 (E) dated 3rd July, 2007 over an area of 251.4308 hectares,
(3) S.O 2174 (E) dated 24th December, 2007 over an area of 74.6145 hectares
(4) S.O. 2022 (E) dated 11th August, 2008 over an area of 2113.7962 hectares
(5) S.O 1079 (E) dated 2nd May, 2008 over an area of 1074.1755 hectares
(6) S. O 742 (E) dated 10th May,2007 over an area of 293.8810 hectares
(7) S.O. 1365 (E) dated 27th May, 2009 over an area of 258.2112 hectares

And, whereas, the Central Government, decided to consolidate all the above mentioned notified areas referred in the preceding paragraphs without affecting rights, obligations and fiscal benefits of the developer(s) .

And, whereas, to this effect, the Central Government vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1365 (E) dated 27th May, 2009, re-notified the initial and subsequent notifications as a composite

Special Economic Zone of Mundra Port and Special Economic Zone Limited (now known as Adani Ports and Special Economic Zone Limited) over an area of 6472.8684 hectares;

And, whereas, M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Limited has now proposed for the de notification of 16.5335 hectares from the above Special Economic Zone;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 16.5335 hectares, thereby making resultant area as 6456.3349 hectares of the above Special Economic Zone, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely :—

TABLE

(Area is in hectares)

Serial No.	**Name of the Village**	**Sr. No. of Notification dated 27.05.2009**	**Survey/ Khata Number**	**Area originally notified**	**Area being denotified**	**Remaining area**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	Siracha	74	Unsurveyed Land	66.3232	1.5937	64.7295
2.	Navinal	51	Unsurveyed Land	65.2274	6.9995	58.2279
3.	Zarpara	40	Unsurveyed Land	271.9081	2.8692	263.0389
4.	Zarpara	41	689/P92/P2/P2	92.2716	5.0711	87.2005
			Total area being de notified		**16.5335**	
			Remaining area of SEZ		6456.3349	

And also, it is stated that this action is without prejudice to any proceedings which are underway or may be initiated against the developer for any default committed by him specifically those related to the developer of his multi –product SEZ :—

[F. No. F.1/22/2009-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.